

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 14/2026

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. हंजारी पुत्र माला जाति सुथार निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थी अधिवक्ता - श्री आम्बाराम पूनड़

-: निर्णय :-

दिनांक:- 09/02/2026

प्रार्थी हंजारी पुत्र माला जाति सुथार निवासी शौभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी कब्जा काश्त का खेत मौजा विश्वकर्मानगर पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि. सोनड़ी, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के मूल खसरा नम्बर 356 में से प्रार्थी द्वारा सहमति से राजस्थान सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु नवसृजित खसरा संख्या 1584/356 रकबा 0-0243 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का समर्पण किया गया। उक्त खसरे का विभाजन होकर अलग प्रार्थी का नवसृजित खसरा नम्बर 922/356 रकबा ^{CA} 0-5667 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कायम हुआ। जमाबंदी नकल संलग्न है। मूल खसरा संख्या 356 में से प्रार्थी द्वारा रास्ते के लिए राजस्थान सरकार के पक्ष में सहमति से खसरा संख्या 1584/356 रकबा 0-0243 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का समर्पण किया गया तथा उक्त खसरे का समर्पण प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शे व मोक़े से भिन्न लिपिकीय भूल से गलत तरमीम की गई तथा तरमीम के समर्पण के वक्त मोक़े पर कब्जे काश्त ढाणी से व मोक़े पर चल रहे रास्ते से



उपखण्ड अधिकारी
(उ.स.ड.स.) सेड़वा



भिन्न हल्का पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा नक्शे में लिपिकीय भूल से गलत तरमीम कर दी गई हैं, ऐसी सूरत में हल्का पटवारी द्वारा समर्पण प्रस्ताव में बने नक्शे से भिन्न भूमि पर रास्ते की भूमि को राजस्थान सरकार के पक्ष में भूमि की तरमीम कर दी तथा नक्शे में की गई तरमीम मौके से भिन्न स्थिति की गई है, जिससे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए की गई तरमीम कब्जे, बंट व मौके पर चल रहे रास्ते अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करवाने का प्रार्थी हकदार होने से नक्शा दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र पेश है। तरमीम के वक्त मौके पर आए बिना हल्का पटवारी द्वारा कब्जे काशत से व मौके पर चल रहे रास्ते से भिन्न समर्पण प्रस्ताव की तरमीम लिपिकीय त्रुटि से किया गया है, जिससे उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त करवाने का प्रार्थी कानूनी हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौजा विश्वकर्मा नगर पटवार हल्का शौभाला दर्शान, भू.अ.नि.क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के मूल खसरा संख्या 356 से नवसृजित प्रार्थी का खसरा नम्बर 922/356 रकबा 2-5667 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त मूल खसरे में से प्रार्थी द्वारा सहमति से राजस्थान सरकार के पक्ष में रास्ते हेतु खसरा संख्या 1584/356 रकबा 0-0243 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि का समप्रण किया गया जो कि नक्शे की लिपिकीय त्रुटि को मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार मौके पर स्थित प्रार्थी की ढाणी एवं मांठ अनुसार तरमीम की जाकर उक्त नक्शा त्रुटि को दुरुस्त करने का व मौके पर चल रहे रास्ते के अनुसार राजस्व रेकर्ड में नक्शा अंकर कर व किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2026/52 दिनांक 15.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक: भू.अ. 2026/262 दिनांक 22.01.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन "मौके पर ग्राम विश्वकर्मा नगर तत्कालीन ग्राम शौभाला दशग्रन के खसरा नम्बर 356 का बंटवाड़ा तहसीलदार सेड़वा के आदेश क्रमांक/भूअ./806 दिनांक 09.12.2025 को जरिए नामांतरकरण 1110/10.12.2005 को किया गया। खसरा नम्बर 356 मौके पर विभाजन सही किया गया, बरंग सही दर्शाया गया है, परन्तु लट्ठा ट्रेस में अंकित करते समय लिपिकीय त्रुटि से परिशिष्ट 'अ' अनुसार किया गया, जो कि मूल दस्तावेज बंटवाड़ा प्रपत्र अनुसार नहीं है। मौके पर कब्जा काशत एवं दस्तावेज अनुसार परिशिष्ट 'ब' पूर्ण जांच कर तैयार किया गया। परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित मौतबरान को पढकर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाए गए।"

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14/2026 उनवान हंजारी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल शौभाला दर्शान के ग्राम विश्वकर्मा नगर के खाता संख्या नया 1 के खसरा नम्बर 1584/356 रकबा 0-0243 हैक्टियर किस्म बारानी सोयम भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2026 के संलग्न दर्शित परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा




उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे परिशिष्ट 'ब' अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांक: भूअ./2026/262 दिनांक 22.01.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.01.2026, खसरा नक्शा, परिशिष्ट 'ब' व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनाथ रायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SDO) सेड़वा

राजस्व वाद

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 262

दिनांक:- 22/01/2026

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला- बाडमेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 14/2026 अनवान हंजारी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत
131,136 ACT 1956 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2026 अनवान हंजारी बनाम तहसीलदार सेड़वा में मौजा शोभाला दर्शन के खसरा 356 की अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू. अ. निरीक्षक सोनड़ी द्वारा दिनांक 21.01.2026 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश गई। जो इस पत्र के सलंगन आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

फर्द मौका

पुस्तिका

आज दिनांक 21/01/2026 को माननीय न्यायलय उच्च न्यायालय के सेशन के राजस्व उनावेदन क्रमांक : डि.सि/2026/52 दिनांक 15/01/26 राजस्व वाद 14/2026 अनवान डंजारे बनाम तहसीलदार सैडवा अन्तर्गत धारा 131, 136 Act 1956 स्वयं तहसीलदार सैडवा के आदेश / क्रमांक / भू.अ. 167-168 दिनांक 16/01/2026 से पालना में हल्का पटवादी श्रीमाला दर्शन के साथ मौके पर पहुंचा।

मौके पर ग्राम विष्णुना नगर तहसील गणम श्रीमाला दर्शन के खसरा नम्बर 356 का बंदावा श्रीमान तहसीलदार सैडवा के आदेश / क्रमांक / भू.अ. / 806 / 9.12.2025 को जारी नामान्तरण 1110/10.12.2025 को विभा गणम / खसरा नम्बर 356 मौके पर विभाजन सहि विभा गया बोंगा सहि दर्शाया गया परन्तु लठ्ठा रूस में अंकि करत समय लिपिबद्ध गृहीत नै परिशिष्ट "अ" अनुसार विभा गया जो कि मूल दस्तावेज बंदावा प्रपत्र अनुसार नहि है।

मौके पर बंदावा काबूत स्वयं दस्तावेज अनुसार परिशिष्ट "ब" पूर्ण जांच कट तैयार किया गया। परिशिष्ट "ब" अनुसार तमोका दस्ता विभा जाना उपयुक्त है।

फर्द मौका मौके पर तैयार कट उपलब्ध मौतबरान के पढ़कर सुनाई गयी व दस्तावेज बरखे गये।

संलग्न:- बंदावा दस्तावेज
नामान्तरण फी।
जमावदी श्रीमाला।

21/01/2026
222 मौका

21/01/2026
मांगोलाल मौजू
पटवारी (भू.अ.)
तहसील सेडवा

क्या
धरम

तहसीलदार (भू.अ.) सैडवा

